भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2916

उत्तर देने की तारीख-18/03/2026

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए जारी की गई निधियाँ

2916 **श्रीमती राजाथी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए कुल कितनी निधियाँ अनुमोदित की गई हैं;

(ख) क्या यह रोक विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा पीएम-श्री स्कूलों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने और त्रि-भाषा सूत्र के अनुरूप होने से इनकार करने से संबंधित है; और

(ग) क्या सरकार ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट (मार्च, 2025) पर ध्यान दिया है, जिसमें इन निधियों को रोकने को अनुचित बताया गया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान तमिलनाडु के लिए अनुमोदित निधियों का विवरण निम्नलिखित है: -

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
कुल अनुमोदित कार्य योजना (केंद्रीय हिस्सा + राज्य हिस्सा)	3055.41	3444.71	3535.25	4305.66	3160.71

(ख) और (ग): 'शिक्षा' विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III (समवर्ती सूची) में शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी, 2020) 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह शिक्षा प्रणाली में एक व्यापक बदलाव की परिकल्पना करती है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सर्वत्र देश के प्रत्येक बच्चे तक एनईपी, 2020 के परिवर्तनकारी लाभ पहुँच सकें। एनईपी, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए वर्ष 2021 में समग्र शिक्षा का पुनर्संरचना किया गया। अतः समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन ही एनईपी 2020 का कार्यान्वयन है। इसी तरह, सितंबर 2022 में शुरू की गई पीएम श्री योजना का उद्देश्य चयनित स्कूलों को 'आदर्श स्कूलों' के रूप में विकसित करके एनईपी 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करना और नजदीक के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। तथापि, तमिलनाडु राज्य ने पीएम श्री के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जहाँ अधिकांश राज्य एनईपी, 2020 को कार्यान्वित कर रहे हैं, वहीं तमिलनाडु इसे पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के तहत, तमिलनाडु राज्य सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि का आवंटन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा संबंधित 'वार्षिक कार्य योजना और बजट' (एडब्ल्यूपीएंडबी) के अनुमोदन के आधार पर तथा निर्धारित निधि-साझाकरण पैटर्न, दिशानिर्देशों एवं निधियों की उपलब्धता के अनुरूप किया जाता है। केंद्र सरकार के हिस्से की राशि को जारी किया जाना पूर्व में जारी निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों और लेखा परीक्षा रिपोर्टों, वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों, राज्य के योगदान तथा योजना के मानदंडों के अनुपालन पर निर्भर करता है।

तथापि समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन एनईपी, 2020 का ही कार्यान्वयन है और तमिलनाडु सरकार ने एनईपी, 2020 को पूरी तरह से लागू करने पर सहमति नहीं दी है, फिर भी व्यापक दृष्टिकोण के साथ-साथ तमिलनाडु के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने समग्र शिक्षा के 'आरटीई पात्रता' घटक के लिए स्वीकार्य केंद्रीय हिस्से को जारी करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 362.81 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहली तथा दूसरी किस्त के रूप में 175.58 करोड़ रुपये सहित 538.39 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा 'आरटीई पात्रता' घटक के तहत तमिलनाडु सरकार को जारी कर दिया गया है एवं इस घटक के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शेष स्वीकार्य राशि को जारी किया जाना मानक शर्तों और निबंधनों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है।

****